

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/33327/KAS/KASGANJ/60/CFO

दिनांक: 30-06-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHEMFORD FUTURISTIC SCHOOL, KASGANJ** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **569,510,572,464,570,206,ETAH ROAD,KASGANJ** तहसील - **KASGANJ** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
B	3	0	11.43 mt.

तथा प्लॉट एरिया **11800 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHEMFORD FUTURISTIC SCHOOL, KASGANJ** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **05-07-2021** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VAIBHAV AGRAWAL** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-07-2021** से **04-07-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अन्य के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्त के अनुसार **3** माह में अनुपालन / कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाती है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं भवन स्वामी मैसर्स **SHEMFORD FUTURISTIC SCHOOL, KASGANJ** अधिभोगी सभी प्रकार के सिविल एवं क्रिमिनल गतिविधियों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

शर्त(Conditions) :

INTERNAL FIRE HYDRANTS SHALL BE INSTALLED AND TERRACE TANK OF 10000 LTRS CAPACITY SHALL BE MAINTAINED WITHIN PERIOD OF SIX MONTHS.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANAND SINGH RAJPUT)


[F024379BFDF3A4419EE009CAB75774F750A1405B]

05-07-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-07-2021
स्थान : KASGANJ


Principal

Shemford Futuristic Sch
Branch-Kasganj

Director

Shemford Futuristic School
Branch-Kasganj

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एटा

पत्रांक: ...स.स. निग- 1/सि.रि.पु.को/12

दिनांक: 14-12-2012

सेवा में,

श्रीनिवास
भूखण्डन निरीक्षण एस्ट
श्रीनिवास प्रमुख निरीक्षण एस्ट
नरेश्वर कारखाना

विषय:-प्लाट/खसरा नं०-569, 572 एवं 570 त० कासगांव जिला कासगांव में निर्मित मेसर्स भूखण्डन निरीक्षण एस्ट श्रीनिवास प्रमुख निरीक्षण एस्ट कारखाना भवन की कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र/ आवेदक के पत्र संख्या..... 31/2 दिनांक: 13-12-2012 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केंद्र, एटा से सुसंगत मानको के अनुसार कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक 13-12-2012 को परीशीलन कर निम्न विवरण पाया गया।

भवन की संरचना:- प्रब संख्या दिनांक: के अनुसार निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत् है:-

- 1- कुल भूखण्ड एरिया- 6800 वर्ग मी०।
- 1- निर्मित भूतल कवर्ड एरिया- 270-25 वर्ग मी०।
- 2- प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-वर्ग मी० (प्रत्येक तल का क्षेत्रफल 500-25 वर्गमीटर).....
- 3- बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया..... वर्ग मी०।
- 4- बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया..... वर्ग मी०।
- 5- बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया..... वर्ग मी०।
- 6- भवन की ऊंचाई- 7 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(औद्योगिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मीटरयल का विवरण).....

ढांचागत व्यवस्थाएँ:-

- 1- पहुँचमार्ग-भवन के सामने 12मी० चौड़ा रोड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 मानको के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5मी० मानको के अनुसार उपलब्ध है।

14/12/12
0 07/12/12

अग्रभाग- 9.2.2012
पुष्ट भाग- 4.5.2012

पार्श्व भाग-प्रथम...4.5.....मी०।

पार्श्व भाग द्वितीय...4.5.....मी०।

भवन के सैटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008/10 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है।

3-निकास मार्ग:- भवन में...3.7.....स्टेयर जिनकी चौड़ाई स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है...1.80.....मी० चौड़ाई है समस्त स्थानों से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4-रिफ्रूज एरिया:- प्रश्नगत भवन में रिफ्रूज एरिया एरिया एन०बी०सी०-2005 मानक के अनुरूप उपलब्ध पाये गये है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

घ- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था - निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पाई गई।

1-होजरील/डाउन कामर:- प्रस्तावित टावर भवन में प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाई गई। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

2-टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक...3.7.....ली० क्षमता का मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

3-भूमिगत टैंक- प्रश्नगत भवन से...3.7.....ली० क्षमता का भूमिगत टैंक प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र एं मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

4- पम्प:- प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास...3.7.....अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प, समकक्ष क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प एवं एक अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित है जो स्वचालित पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी०आई०एस०-3844-1989 के अनुसार स्थापित है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

5-वेटराइजर:- प्रश्नगत भवन में वेटराइजर सिस्टम एवं यार्ड हाईड्रैण्टस मानको के अनुसार स्थापित है पम्प रूम से संयोजित है भारतीय मानक ब्यूरो के बी०आई०एस०-3844-1989 के अनुसार स्थापित है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये जो आई०एस०आई० मार्क है।

7- आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम- सम्पूर्ण भवन ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० मानकों के अनुसार स्थापित है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

8- मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानकों के अनुसार स्थापित है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

9- ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:-

क- सम्पूर्ण भवन में ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित है जो एयर कण्डीशनिंग सिस्टम एवं ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम के मध्य इण्टरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

ख- स्टेयरकेश, रिफ्रूज एरिया, लिफ्ट लाबी में सप्लाय करने वाली एयर डक्ट में स्मोक डिटेक्शन स्थापित पाये गये। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

10- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*

Xक- फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का विवरण मानको के अनुसार है।

Yख- सिस्टम की मैक अप एयर की व्यवस्था मानको के अनुसार है।

Yग- स्मोक एक्सट्रैक्शन हेतु मैक अप, स्मोक, रिजरवायर, स्मोक कर्टेन वाले आदि की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अधिभोगियों के सुरक्षित विकास होने तक वातावरण सामान्य रहेगा।

14/11/12
001/CP

- 11- प्रेशराईजेशन प्रणाली:-1स्थानों पर प्रेशराईजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैंस की डक्टिंग इत्यादि डिटेक्शन सिस्टम से इण्टरलिक है। *NBC के अनुसार आवश्यक नहीं है।*
- 12- एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है। *उपलब्ध है।*
- 13-पी0ए0 सिस्टम:- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है। *उपलब्ध है।*
- नोट:- प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक..... के अनुसार स्कूल/शैक्षिक संस्था विकास प्राधिकरण , नगरपालिका, टाउन ऐरिया, विनियमित क्षेत्र की परिधि से बाहर स्थित है स्कूल वर्ष..... के कार्यरत है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की धारा 3.11.3.1 के अनुसार दिनांक..... के से पूर्व निर्मित होने के कारण एवं शासनादेश संख्या: 2688/छ:-पु0-08-2008 दिनांक- 20.11.2008 के अनुसार सेटवैक/पहुँच मार्ग/ निकास मार्ग में छूट अनुमन्य/ नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर के भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सयदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
- 3-किसी प्रकार की अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना स्थानीय अग्निशमन, केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
- 5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/ फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन से जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक- मानचित्र- 1 वर्क।

A. J. Gupta

(अजय कुमार गुप्ता)

उपनिदेशक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी
एटा।

प्रतिलिपि - 1- उपनिदेशक/उत्तराधिकारी (आकार) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- अग्निशमन अधिकारी कार्यालय एवं को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।